

मु.नं. 12/25 अर्चना चौधरी / केशर

पम्बर व सन् मुकदमा ...

दायरा .....

12-3-26 परावली पेश दुई अभयपक्ष के वकील उपरोक्त प्रकरण में बहस सुनी गयी। अभयपक्ष आदेश-वेक्तागण ने तहसीलदार, सपनाद से प्राप्त कमिश्नरी रिपोर्ट (बंखारा प्रस्ताव) पर सहमति व्यक्त की। तदनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल परावली किया गया।

परावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

*[Faint red text from the reverse side of the page, including "अधिकारी" and "रूपनगढ़ (अजमेर)"]*